बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं.–03/आ01–265/2024 ..../श्री आनन्द कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पी० एम० पोषण योजना, जहानाबाद सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गयाजी को पद का दुरूपयोग करने, प्रावधान प्रतिकूल कार्य करने, जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधिकार का अतिक्रमण करने, प्रावधान प्रतिकूल कार्य करने, जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधिकार का अतिक्रमण करने एवं मनमानेपूर्ण कृत्य करने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने आदि आरोपों में विभागीय आदेश संख्या–340946 दिनांक 26.12.2025 द्वारा **"संचयी प्रभाव के बिना एक वेतनवृद्धि रोकने"** की शास्ति अधिरोपित की गयी है। इनके द्वारा दण्ड के संबंध में अपील किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24 के कंडिका 2 में अंकित है कि सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, हालांकि ज्ञापन के रुप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी। श्री आनंद कुमार के द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी तो दायर नहीं किया गया है, परंतु उनके अपील आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार किया गया।

3. श्री आनन्द कुमार के आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को यह परिलक्षित हुआ है कि विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए जांच/संचालन में प्रमाणित आरोपों के आधार पर इन्हें लघु शास्ति संसूचित की गयी है तथा उसे निरस्त करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

4. अपील आवेदन (पुनर्विलोकन अर्जी) की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई समीक्षा के उपरांत श्री आनन्द कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पी० एम० पोषण योजना, जहानाबाद सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गयाजी पर पूर्व में अधिरोपित शास्ति पर संपुष्टि प्रदान करते हुए इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार आलोच्य पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–265/2024 /370322 पटना, दिनांक– 24/02/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै0दा0नि0 कोषांग) वित्त विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/श्री आनन्द कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पी० एम० पोषण योजना, जहानाबाद सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गयाजी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 शिक्षा विभाग एवं आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 24-02-2026 14:37:17

E:\Manish